न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00073, 206/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 तुलछी, रामेश्वर, नेतराम, सावित्री पि. मोतीराम जाति कुम्हार साः 2 एमजीडब्ल्युएम तहः खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
4. श्री इदरीश अहमद कुरेशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 09.02.23**

उक्त प्रकरण से संबंधित दो पत्रावलियां (2015/00073, रिमाण्ड प्रकरण 206/2022) न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 कुल 19.00 बीघा खातेदार तुलछीदेवी, रामेश्वरलाल, नेतराम, सावित्री पि. मोतीराम जाति कुम्हार निः 2 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे। एक रिमाण्ड प्रकरण सं0 206/2022 है जो किला नं0 1 ता 3, 9, 10, 24, 25 से संबंधित है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। और दूसरा प्रकरण सं0 2015/00073 किला नं0 1 ता 17, 24, 25 से संबंधित है। पहले प्रकरण के किले दूसरे प्रकरण में शामिल है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता इदरीश अहमद कुरेशी ने रामेश्वर, नेतराम, सावित्री की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत

किया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/21 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 की कुल 19.00 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसपर प्रतिवादीगण मौका पर काबिज होकर कृषि कार्य में उपयोग लेते है और यहां ढाणी बनाकर रह रहे है। इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारों पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। किसी प्रकार का सर्वे किये बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर वादी अपने मनसुबो में सफल हो जाता है, तो प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादीगण के परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इसकारण वादी द्वारा मनगढत व काल्पनिक तथ्यों पर प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/124 दिनांक 03.03.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा जमाबन्दी में अराजीराज है। उक्त रकबे पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का स्थगन है। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 100/21 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 में तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त व ढाणी बनाकर निवास तुलछीदेवी के वारिसो द्वारा है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है पूर्व में उक्त रकबे में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

3. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

4. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादी निवेदन अधिवक्ता जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि वादपत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। हम उक्त रकबे में कब्जा काश्त है और कृषि कार्य करते है। कृषि भूमि को नुकसान करने

वाला ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कृषि भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुॅचे। हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में लिखा है कि कब्जा काश्त है व ढ़ाणी बनाकर निवास करते है और साथ में बिना जांच जानकारी के लिखा है पूर्व में खनन होता था जबकि पटवारी ने ये बिना आधार के लिखा है जो सरासर झूठ है क्योंकि हमारे खेत में कभी भी जिप्सम खुदाई नहीं हुई है ना इस संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह लिए गए। ना ही ये बताया कि जिप्सम कब व किसने खोदा है। यदि जिप्सम खुदाई होती तो जिप्सम कभी जब्त किया जाता या कोई गाड़ी ट्रेक्टर जेसीबी जब्त की जाती एवं कोई पुलिस थाना में भी मुकदमा वगैरह किया जाता या खनिज विभाग द्वारा हमारे उपर कोई कार्यवाही की जाती किन्तु वादी ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किये कि जिससे साबित हो कि हमारे खेत में अकृषि कार्य किया जाकर कृषि भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुॅचाया गया हो। पटवारी बिना मौके पर जाए भ्रामक सूचना के आधार पर रिपोर्ट कर दी जिसके आधार पर झूठा वादपत्र पेशकर गरीब काश्तकार को परेशान किया जा रहा है इसलिए वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको स्वतंत्र गवाह, साक्ष्य/सबूत के आधार पर साबित करने में वादी असफल रहा है।

वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में प्रतिवादीगण ने जवाब में लिखा है वादगत रकबे पर निवास करते है और कब्जा काश्त में है एवं कृषि भूमि के स्वरूप को नुकसान वाला कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। जिसकी तस्दीक तहसील रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/2020/124 दिनांक 03.03.2020 से हो रही है। बिना कोई सॉलिड आधार के काश्तकार को बेजा परेशान करना न्यायोचित नहीं है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में विफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में सफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वादपत्र धारा 177 आरटीएक्ट के प्रावधानों व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.02.2014 की पालना में की गई प्रविष्टि से पूर्व की स्थिति बहाल करें। उभयपक्षकारान अपना–अपना

वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)